//1//

.—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 137 / 2024

उनवान

मुकेश पुत्र रामप्रसाद पौत्र गोकल दास जाति साधु, नि. ग्राम जसवंतपुरा नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री शांति प्रकाश शर्मा

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र गोकल,
2. विकम पुत्र गोकल जाति भील नि. जसवन्तपुरा, नसीराबाद,
3. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
4. उप पंजीयक, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 व 2 अनुपस्थित
3 व 4 जरियें राज. पैरोकार

5. हनुमान जायन्दा पुत्र रामप्रसाद दत्तक पुत्र श्योजी पौत्र गोकलदास जाति साधु नि. जसवन्तपुरा,
6. कालू जायन्दा पुत्र रामप्रसाद दत्तक पुत्र महावीर जाति साधु नि. जसवन्तपुरा, नसीराबाद,
7. कमला पत्नी बद्री जाति साधु नि. जसवन्तपुरा, नसीराबाद,
8. पार्वती पत्नी हरि, पुत्री बालदास जाति साधु नि. जसवन्तपुरा, नसीराबाद,
9. पारसी पुत्री बालदास पौत्री जाति साधु नि. जसवन्तपुरा, नसीराबाद,

—— अप्रार्थीगण :— 5 से 9 अनुपस्थित

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :—25-9-24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जसवंतपुरा के चौसाला खसरा नम्बर 266 रकबा 5—5—0 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 से 9 के पूर्वज गोकलदास व बालदास के नाम राजस्व अभिलेख में चली आ रही है। बालदास व गोकलदास आपस में सगे भाई है, व आपस में प्रेम सद्भाव के कारण उक्त आराजी में बालदास ने अपना हिस्सा गोकलदास को हक तर्क कर दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण आराजी प्रार्थी के दादा गोकलदास के नाम दर्ज हुयी। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 323 रकबा 0—5—0, 324 रकबा 2—2—0 व 306 रकबा 2—18—0 तथा उसके हाल खसरा नम्बर 404 रकबा 0.42 व 405 रकबा 0.05 त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिये गये। जिस कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को [illegible] निस्तारण तक जरियें अंतरिम अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को [illegible] किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 व 5 से 9 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे [illegible] जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:51:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

हाल खसरा नम्बर 404 रकबा 0.42 व 405 रकबा 0.05 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 306 रकबा 2–18–0 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम दर्ज है। उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता गोकल पुत्र भूरा को 1975 में आवंटित हुयी है। वंर्किग खसरा नम्बर 323 व 324 की स्थिति हेतु वंर्किग जमाबंदी प्रार्थी द्वारा पेश नही की गयी है। चौसला जमाबंदी सम्वत् 2013 से 2016 में चौसाला खसरा नम्बर 266 रकबा 5–5–0 गोकलदास पुत्र चंदरदास के नाम दर्ज है। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 में चौसला खसरा नम्बर 266 रकबा 2–0–0 गोकलदास व बालदास पि. चंदरदास के नाम दर्ज है तथा शेष रकबा चौसला जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 में चौसाला खसरा नम्बर 266 रकबा 3–5–0 सिवायचक दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम हाल खसरा नम्बर 404 व 405 का कुल रकबा 0.47 ही खातेदारी दर्ज है। शेष रकबे की स्थिति प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नही की है। आराजी मुतनाजा का आवंटन 1975 में ही किया जा चुका है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व विषम परिस्थिति में ही स्थगन जारी किया जा सकता है। प्रकरण में विषम परिस्थिति सिद्व नही होती है। अंतिम चौसाला जमाबंदी में उक्त आराजी सिवाचक दर्ज होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता को आराजी मुतनाजा का आवंटन हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अवगत कराया कि उत आवंटन के विरूद्व उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जा चुकी हैं। किन्तु आंवटन निरस्त नही होने तक प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. **अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना** :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से ही तय होगे। अप्रार्थीगण रिकार्ड में खातेदार दर्ज है। उनके विरूद्व स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. **सुविधा का संतुलन** :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग कियां जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्यो का गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

अतः ग्राम जसवंतपुरा की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:31:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी